य उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

54/2024
दिनांक–07.11.2024
08.01.2025

जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम समदपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

पीपलू जिला टोंक (राज0)
रीक्षक, झिराना
री, नयाटीला

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की भूमि आराजी ख0न0 57
ली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की भूमि आराजी ख0न0 57 ... 1998 व 1975 वाके पटवार हल्का नयाटीला व भूमि आराजी ख0न0 1978, 2000, 2068, 1999, 1998 व 1975 वाके कलां व भूमि आराजी ख0न0 141, 144/1 व 382/613, 382/614, 382/615, 382/616, ग्राम रहीमनगर, पटवार हल्का नयाटीला व ख0न0 136, 137, 138, 140, 141, 195, 196, 197, 354, 355, 364, 365, 366, 585, 586, 587, 592, 593, 594 वाके ग्राम समदपुरा, पटवार हल्का पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका प्रार्थी सह खातेदार व काश्तकार है। उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से प्रार्थी का नाम किशोर की जगह रामकिशोर अंकित कर दिया गया, जबकि अन्य राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के आधार कार्ड, बैंक डायरी, पेन कार्ड, पहचान कार्ड आदि में किशोर पुत्र जगन्नाथ मीणा ही दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ दुरूस्त किया है। प्रार्थी के पिताजी की मृत्यु होने के कारण विरासत का नामान्तकरण में गलती से बोलता नाम जगन्नाथ मीणा दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सभी दस्तावेजात् में सही नाम किशोर पुत्र है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल करते समय संहवन से प्रार्थी का नाम किशोर पुत्र जगन्नाथ मीणा की र पुत्र जगन्नाथ मीणा कर दिया गया, जो की एक लिपिकीय त्रुटी है। अतः उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के त्रुटीपूर्ण नाम रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर किशोर पुत्र किये जाने का आदेश फरमावे।

वली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी पलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

किया की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम बोरखण्डी कलां के खाता संख्या 446, 447, 448, 450,
52 व ग्राम नयाटीला की जमाबंदी खाता संख्या 71 व ग्राम रहीमनगर की खाता संख्या 136, 67 व ग्राम
की खाता संख्या 111, 112 में प्रार्थी का नाम रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ हि. जमाबंदी अनुसार जाति मीना
दपुरा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के उपरोक्त खाता संख्या में प्रार्थी के पिता जगन्नाथ की विरासत के
के ग्राम समदपुरा के नामान्तकरण संख्या 338 दिनांक 06.09.2010 व रहीमनगर के नामान्तकरण संख्या
नांक 20.09.2012 एवं ग्राम नयाटीला के नामान्तकरण संख्या 606 दिनांक 30.11.2010 से जगन्नाथ की
का नामान्तकरण निर्णित था। जिसमें प्रार्थी का नाम रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ हि0 जमाबंदी अनुसार दर्ज
है। जबकि ग्राम बोरखण्डी कलां में प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करने पर नामान्तकरण संख्या 558 दिनांक 14.06.
रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ दर्ज रिकॉर्ड हुई है। प्रार्थी उक्त वर्णित खातो में अपना नाम रामकिशोर पुत्र
के स्थान पर किशोर पुत्र जगन्नाथ दर्ज करवाना चाहता है। जिसके संबंध में प्रार्थी ने अपना मतदाता
पत्र, आधार कार्ड, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है एवं ग्राम बोरखण्डी कलां के खाता
46 की नकल जमाबंदी संलग्न है। उक्त प्रकरण में मौके पर की गई जांच उपस्थित मोतबिरान प्रार्थी
र पुत्र जगन्नाथ व किशोर पुत्र जगन्नाथ एक ही व्यक्ति है। इसको इन दोनो नामो से ही जाना जाता
र कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम किशोर पुत्र जगन्नाथ ही काम में लिया जा रहा है
गांव में इसी नाम से पुकारा जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी।
प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 57
टीला, पटवार हल्का नयाटीला व भूमि आराजी ख0न0 1978, 2000, 2068, 1999, 1998 व 1975 वाके
खण्डी कलां व भूमि आराजी ख0न0 141, 144/1 व 382/613, 382/614, 382/615, 382/616,
वाके ग्राम रहीमनगर, पटवार हल्का नयाटीला व ख0न0 136, 137, 138, 140, 141, 195, 196, 197,
200, 354, 355, 364, 365, 366, 585, 586, 587, 592, 593, 594 वाके ग्राम समदपुरा, पटवार हल्का
तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका प्रार्थी सह खातेदार व काश्तकार है। उक्त वर्णित
त के राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से प्रार्थी का नाम किशोर की जगह रामकिशोर अंकित कर दिया गया,
है। जबकि अन्य राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के आधार कार्ड, बैक डायरी, पेन कार्ड, पहचान कार्ड आदि में
नाम किशोर पुत्र जगन्नाथ मीणा ही दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ दुरूस्त किया
श्यक है। प्रार्थी के पिताजी की मृत्यु होने के कारण विरासत का नामान्तकरण में गलती से बोलता नाम
पुत्र जगन्नाथ मीणा दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सभी दस्तावेजात् में सही नाम किशोर पुत्र
मीणा है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल करते समय संहवन से प्रार्थी का नाम किशोर पुत्र जगन्नाथ मीणा की
किशोर पुत्र जगन्नाथ मीणा कर दिया गया, जो की एक लिपिकीय त्रुटी है। अतः उक्त वर्णित
के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के त्रुटीपूर्ण नाम रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर किशोर पुत्र
दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम बोरखण्डी कलां के खाता
447, 448, 450, 451, 452 व ग्राम नयाटीला की जमाबंदी खाता संख्या 71 व ग्राम रहीमनगर की
136, 67 व ग्राम समदपुरा की खाता संख्या 111, 112 में प्रार्थी का नाम रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ हि.
ुसार जाति मीना सा. समदपुरा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के उपरोक्त खाता संख्या में प्रार्थी के
ाथ की विरासत के तत्समय के ग्राम समदपुरा के नामान्तकरण संख्या 338 दिनांक 06.09.2010 व
नामान्तकरण संख्या 515 दिनांक 20.09.2012 एवं ग्राम नयाटीला के नामान्तकरण संख्या 606 दिनांक
से जगन्नाथ की विरासत का नामान्तकरण निर्णित था। जिसमें प्रार्थी का नाम रामकिशोर पुत्र
0 जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि ग्राम बोरखण्डी कलां में प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करने पर
संख्या 558 दिनांक 14.06.1998 से रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ दर्ज रिकॉर्ड हुई है। प्रार्थी उक्त वर्णित
ना नाम रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर किशोर पुत्र जगन्नाथ दर्ज करवाना चाहता है। जिसके
ी ने अपना मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है एवं
ी कलां के खाता संख्या 446 की नकल जमाबंदी संलग्न है। उक्त प्रकरण में मौके पर की गई जांच
विरान प्रार्थी रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ व किशोर पुत्र जगन्नाथ एक ही व्यक्ति है। इसको इन दोनो
जाना जाता है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम किशोर पुत्र जगन्नाथ ही
जा रहा है और अब गांव में इसी नाम से पुकारा जाता है।

ने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, यथा आधार कार्ड, आधार कार्ड, साक्ष्य शपथ पत्र
मीणा पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी ग्राम समदपुरा व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का
उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं की प्रार्थी का शुद्ध नाम
गन्नाथ जाति मीणा है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 57 ग्राम नयाटीला, पटवार हल्का नयाटीलां व
ख0न0 1978, 2000, 2068, 1999, 1998 व 1975 वाके ग्राम बोरखण्डी कलां व भूमि आराजी ख0न0
व 382/613, 382/614, 382/615, 382/616, 382/617 वाके ग्राम रहीमनगर, पटवार हल्का
ख0न0 136, 137, 138, 140, 141, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 354, 355, 364, 365, 366, 585,
2, 593, 594 वाके ग्राम समदपुरा, पटवार हल्का नयाटीला के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम
जगन्नाथ दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज
रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा के स्थान पर **किशोर पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा हि0**
ुसार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा
र खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार
हो।

(अनिल कुमार खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)